company diversified into other areas of the economy as well, with a focus on infrastructure and core sectors of the industry with an export potential.

(c) The total sanctions amounted to Rs. 197.58 crores as on November, 30, 1992 covering projects from power, tele communication, tourism and other in dustrial sectors.

(d) No Sir.

(e) Does not arise.

Proposal to levy anti-dumping duty

4249. SHRI MENTAY PADMANA-BHAM; Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether there is any proposal un der Government's consideration to levy anti-dumping duty on imports of Poly Venyl Chloride (PVC);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that such an anti-dumping duty wi]l be detrimental to the small users of PVC; and

(d) what steps Government propose to take to protect the interests of small users of PVC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR); (a) and (b). On a complaint received from the domestic industry about dumping of PVC resin into India, investigation concerning the same, as prescribed in the relevant rules, has been initiated by the Designated Authority, in the Ministry of Commerce.

(c) and (d). Rule 9 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determica-tion of Injury) Rules, 1985 requires the Designated Authority to allow an interested party an opportunity to represent its views. Importers of PVC resin including small users of PVC have made their views known to the Designated Authority, in the course of anti-dumping investigation concerning import of PVC resin. A final decision in the matter is yet to be taken

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को दिये गये ऋण

4250. श्री छोटू भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य को वाणिज्य और कृषि के क्षेत्रों के लिये दिये गये ऋणों की वर्षवार धनराशि कितनी है; और

(ख) इन दोनों क्षेत्रों में माफ किये गये ऋणों का बैंकवार और वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गये अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है । तथापि सितम्बर, 1989, मार्च 1990 तथा मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग (एस एस आई) एककों के लिये वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की राज्य वार बकाया राशि विवरण–I और II में दी गई है । इसी प्रकार, वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के लिये प्रत्येक राज्य में उद्योगों को अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित राशि विवरण–III में दी गई है । (नीचे देखिये)

(ख) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990, किसानों, कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों सहित पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/– रुपये प्रति उधारकर्ता की सीमा तक ऋण राहत उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी । योजना के अन्तर्गत, माफ की गई राशि